


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1972/भाद्र 4, 1894

No. 387] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1972/BHADRA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August 1972

S. O. 566(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 74 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby establishes, with effect from the 8th day of September, 1972, branch offices of the patent office at Bombay and Madras, and also specifies the territorial limits within which each of the said offices of the patent office shall exercise its functions under the said Act, as follows:—

- | | |
|---|---|
| Branch office of the patent office at Bombay. | The States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. |
| Branch office of the patent office at Madras. | The States of Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu and the Union territories of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Pondicherry. |

[No. 33(35)-SP&D/71.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

श्रीयोगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1972

का० आ० 566(अ).—पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 74 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट कार्यालय के शाखा कार्यालय सितम्बर, 1972 के 8वें दिन से बम्बई और मद्रास में एतद्वारा स्थापित करती है और निम्नलिखित प्रादेशिक सीमाएं भी विनिर्दिष्ट करती है जिनके भीतर पेटेन्ट कार्यालय का उक्त प्रत्येक कार्यालय उक्त अधिनियम के अधीन अपने कृत्य करेगा :—

पेटेन्ट कार्यालय का
शाखा कार्यालय,
बम्बई ।

गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तथा
गोवा, दमण और दीव तथा दादर और नागर हवेली
संघ राज्य क्षेत्र ।

पेटेन्ट कार्यालय का
शाखा कार्यालय,
मद्रास ।

आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तमिल नाडु राज्य
तथा लक्षद्वीप, मिनीकोय और श्रीनदीवी
द्विपसमूह तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र ।

[सं० 33(35)—एस पी एच डी/71]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।